प्रेस नोट

थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

थाना अमरिया पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस का विक्रय करने वाले 04 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल, अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र व गौवंशीय पशुओं की हत्या करने के उपकरण/मोबाइल आदि हुए बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 23.07.2024 को थाना अमरिया पुलिस द्वारा **गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस की बिक्री कर अवैध तरीक से धनोपार्जन करने वाले 04 अभियुक्तगण 01-इकराम पुत्र मोहम्मद इल्यास निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत 02-सलीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत 03-फुरकान पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम बांसखेडा थाना अमरिया जिला पीलीभीत 04-शाहिद पुत्र मिसवास निवासी ग्राम बांसखेडा थाना अमरिया जिला पीलीभीत** को मय एक अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर,एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद मोबाइल तथा घटना स्थल से बरामद 01जीवित गाय व पशु काटने के उपकरण सहित सरैनी तिरकुनिया जाने वाले मार्ग से अन्दर चकरोड पर धान के खेत से **पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना अमरिया पर मु0अ0सं0 0139/ 2024 धारा 109 (1) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आर्म्स व 3/5/8 CS ACT व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, व मुठभेड़ में घायल अभियुक्त इकराम उपरोक्त को उपचार हेतु सर्वप्रथम सीएचसी अमरिया व चिकित्सक द्वारा रेफर करने पर जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 22.07.2024 को थाना अमरिया पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति सरैनी तिरकुनिया जाने वाले मार्ग से अन्दर चकरोड पर करीब 50 मीटर गन्ने व धान के खेत में एक गाय (गौवंशीय पशु) को काटने के लिए बड़ी क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुए गाय को रस्सी से बांधकर गिरा रहे हैं और ये लोग गाय को काटने वाले हैं । इनके पास में नाजायज असलाह भी हो सकते हैं। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर पुलिस बल द्वारा देखा गया तो धान के खेत में लाईट जल रही थी एवं पशु को काटने की तैयारी की जा रहा थी, पुलिस द्वारा देखा गया कि चार व्यक्तियों ने एक पशु के चारो पैरों को रस्सी से बाँधकर पास में गिरा रखा है और आपस मे कह रहे हैं कि आज इसे काटकर इसके मांस को बेचकर 30,000/- रुपया बन जायेगें पुलिस टीम को पूरा यकीन हो गया कि उक्त लोग गौकश ही हैं । पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर करते हुए 01 बदमाश को घायल अवस्था में जिसने अपना नाम इकराम पुत्र मोहम्मद इल्यास निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत बताया, जिसके दाहिने पैर में घुटने से नीचे पीछे की तरफ गोली लगी है,तथा घटना में संलिप्त अन्य तीन अभियुक्त जिन्होंने अपना नाम सलीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत, फुरकान पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम बांसखेडा थाना अमरिया जिला पीलीभीत, शाहिद पुत्र मिसवास निवासी ग्राम बांसखेडा

थाना अमरिया जिला पीलीभीत बताया को पुलिस हिरासत में लेते हुये फील्ड यूनिट को सूचित किया गया, मौके पर एक गाय बंधी हुई जमीन पर पडी थी, जिसका चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु पशु चिकित्सालय अमरिया को सूचित किया गया। सभी अभियुक्तगणों से पशु व पशु काटने के औजार के बारे में पूछा गया तो सभी अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि साहब, हम चारों ने इस गाय को शाम के समय जंगल से पकडा था और अब इसे काटने जा रहे थे तभी आप आ गये । पकडें जाने के डर से हमने आपके ऊपर गोली चलायी थी। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

01-इकराम पुत्र मोहम्मद इल्यास उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत (उपचाराधीन जिला अस्पताल पीलीभीत)

02-सलीम पुत्र अब्दुल वहीद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम सरैनी तिरकुनिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत

03-फुरकान पुत्र रहमतुल्ला उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बांसखेडा थाना अमरिया जिला पीलीभीत

04-शाहिद पुत्र मिसवास उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम बांसखेडा थाना अमरिया जिला पीलीभीत

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर (चालू हालात में) व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद मोबाइल
- घटना स्थल से बरामद 01 रास गाय व पशु वध करने के उपकरण।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण -

सलीम पुत्र अब्दुल वहीद

1. मु0अ0सं0 0372 / 2012 धारा 367, 366, 342, 376 भादवि थाना अमरिया

फुरकान पुत्र रहमतुल्ला

2.मु0अ0सं0 0030 / 2022 धारा 3 /25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम -

01. थानाध्यक्ष श्री ब्रजवीर सिंह
02. व0उ0नि0 संजय कुमार
03. उ0नि0 ज्ञानेश्वर कुमार
04. उ0नि0 राजेश कुमार
05. का0 अंकुर कुमार
06. का0 जोनी यादव
07. का0 मोहित पुन्डीर
08. का0विशेष चौधरी